

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, झाबुआ प्रधान कार्यालय – 09-कॉलेज रोड, पिली कोठी, झाबुआ (म.प्र.)-457661 फोन – 07392 245681, 243377, 245097-98-99		Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt., Jhabua Head Office – 09-Collage Road, Pili Kothi, Jhabua (MP)-457661 Ph : 07392 245681, 243377, 245097-98-99
---	---	---

- Email ID (Section Wise) -

Field : ccbhojhabua245097@gmail.com, **Establishment :** jhabuaccb@gmail.com,

Accounts: lekhaaccbho@gmail.com, **Marketing :** ccbmo@rediffmail.com, **CBS :** cbsjhabua.mp@gmail.com

क्र / लेखा / अमानत / 2022.23 / 3976

झाबुआ दिनांक:- 22.02.2023

प्रति,

शाखा प्रबंधक,

शाखा.....(समस्त)

विषय:- अमानत की ब्याज दर का दिनांक 01-03-2023 पर पुनः निर्धारण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे उक्त पत्र के माध्यम से सावधि अमानत की ब्याज दरों का निर्धारण किया गया था। अन्य व्यवसायिक बैंको की ब्याज दरों को दृष्टिगत रखते हुए बैंक प्रशासकीय कमेटी की बैठक दिनांक 21.02.2023 के निर्णय अनुसार सावधि निक्षेप की ब्याज दरों में दिनांक 01.03.2023 से निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है-

क्र	परिपक्वता अवधि	वर्तमान प्रचलित ब्याज दर प्रतिशत में	प्रभावशाली ब्याज दर
1	7 दिन से 14 दिन तक	3.50%	3.50%
2	15 दिन से 45 दिन तक	3.50%	3.50%
3	46 दिन से 90 दिन तक	4.60%	4.60%
4	91 दिन से 179 दिन तक	4.80%	4.80%
5	180 दिन से एक वर्ष से कम	5.75%	6.05%
6	एक वर्ष एवं अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम	6.50%	7.05%
7	तीन वर्ष एवं अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम	6.60%	7.00%
8	पांच वर्ष एवं उससे अधिक	6.75%	6.90%

सेविंग अमानत की ब्याज दर 4% रहेगी। बैंक में कार्यरत कर्मचारी, बैंक सेवा से सेवा निवृत्त कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक की स्थिति में अधिकतम 1 प्रतिशत ब्याज दर दी जावेगी। दोहरा लाभ नहीं दिया जावेगा।


महाप्रबंधक

क्र / लेखा / अमानत / 2022.23 / 3976A

झाबुआ दिनांक:- 22.02.2023

प्रतिलिपि:-

- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित झाबुआ जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं अमानत वृद्धि के लक्ष्यों की पूर्ति करवाने हेतु पालनार्थ।
- कक्ष प्रमुख सीबीएस की ओर टी.सी.एस. सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करवाने हेतु सूचनार्थ।
- संस्था प्रबंधक संस्था.....(समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं संस्था के कृषक सदस्यों एवं अमानतदारों को अवगत कराने हेतु पालनार्थ।


महाप्रबंधक